न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–173 सन् 2026

CNR No.–UPSN01–000588–2026

गौरीशंकर सरोज उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र स्व० पन्नालाल, निवासी गोड़ापार, थाना चौरी, जनपद–भदोही। .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–174 सन् 2025
धारा–115(2), 352, 351(3)एवं
धारा–110 भारतीय न्याय संहिता
थाना–चौरी, जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त गौरीशंकर सरोज की ओर से प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–174 सन् 2025, धारा–115(2), 352, 351(3)एवं धारा–110 भारतीय न्याय संहिता थाना चौरी, जनपद भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा कुसुम देवी ने दिनांक 28.10.2025 को समय 23.48 बजे थाना प्रभारी थाना चौरी को लिखित तहरीर देकर कथन किया कि वह निवासिनी गोड़ापार थाना चौरी जनपद भदोही की रहने वाली है। दिनांक 28.10.2025 को समय करीब 6.00 बजे उसके पट्टीदार मुन्ना विश्वकर्मा के लड़के धीरज विश्वकर्मा से अरुण व करन सरोज पुत्रगण गौरीशंकर सरोज से बोल ठोल हो रही थी, उसी को मेरा लड़का सतीश विश्वकर्मा बीच बचाव हेतु गया तो विपक्षीगण करन सरोज व अरुण सरोज को उनके पिता गौरीशंकर सरोज ने उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी ललकार कर कहा कि मारो इसी साले को, इसी पर करन व अरुण ने लोहे के राड से मेरे लड़के सतीश के सर पर मारा, जिससे मौके पर वह बेहोश हो गया, जिसका इलाज कराकर वह लोग वापस आये हैं। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। वादिनी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण गौरीशंकर सरोज, करन सरोज व अरुण सरोज को नामित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या–174 सन् 2025, धारा–115(2), 110, 352, 351(3)भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलित कर आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से आधार अग्रिम जमानत एवं तर्क में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है और उसे रंजिशन झूंठा एवं फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–26521 सन् 2025 गौरीशंकर बनाम स्टेट आफ यू० पी०प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.11.2025 को पुलिस को हिदायत दिया गया कि आवेदक को हरास न करें। पुलिस ने बाद विवेचना मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। आवेदक/अभियुक्त व उसके लड़कों ने सतीश विश्वकर्मा को मारा पीटा नहीं है न तो गाली दिये हैं और न जान से मारने की धमकी दिये हैं तथा न ही उनके मारने से चोटहिल को कोई गम्भीर चोट ही सर पर आयी है। चिकित्सक द्वारा चोटहिल के एन.सी.सी.टी.सर की कराने के लिए सलाह दी गयी उसके पश्चात एम.आर.आई.कराने की सलाह दी गयी है, जिसमें सतीश विश्वकर्मा के मस्तिष्क में कोई असमान्यता नहीं पायी गयी है। विवेचक द्वारा गलत तरीके से मुकदमे की गम्भीरता को बढ़ाने के लिए धारा–110 भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस ने आवेदक/अभियुक्त व उसके लड़के के विरुद्ध मामले में बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाय।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादिनी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी मुकदमा के लड़के सतीश विश्वकर्मा को अभियुक्त गौरीशंकर सरोज ने ललकार कर अपने दोनो लड़के करन सरोज व अरूण सरोज से जान से मारने की नियत से लोहे ही राड से जोरदार प्रहार किया। जिससे वादिनी के लड़के के सिर पर प्राण घातक चोटे आयी और बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद वादिनी रोते हुये घटना स्थल पर पहुंची विपक्षीगणों से बीच–बचाव की और प्रार्थिनी ने अपने लड़के को लेकर तुरन्त पुलिस थाना चौरी गयी। तब पुलिस थाना चौरी द्वारा वादनी के लड़के को लेकर सी०एच०सी० भदोही दवा ईलाज हेतु गयी वहां से वादिनी के लड़के को चिकित्सक द्वारा महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल भदोही रेफर कर दिया गया। जहां से चोट गम्भीर होने के कारण ट्रामा सेन्टर बी०एच०यू० वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया जहां वादिनी के लड़के का एम०आर०आई० ब्रेन की जांच हुई और जिसका ट्रामा सेन्टर बी०एच०यू० में दवा–ईलाज चल रहा है और वादिनी का लड़का बार–बार बेहोश हो जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी सीता देवी द्वारा वादिनी मुकदमा पक्ष के मगनलाल विश्वकर्मा, कुसुम देवी विश्वकर्मा, सतीश व पप्पू विश्वकर्मा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–16 सन् 2026 धारा–74, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3(1)द, ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989(संशोधन 2015)के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। थाने की आख्या दिनांकित 13.11.2025 के साथ चोटहिल सतीश के सीटी स्कैन रिपोर्ट अभिलेख पर दाखिल है, जिसमें intracranial Bleed / Contusion

noted. Basal cisterns are well seen and appears normal. Sylvian fissures and sulcal spaces app, Ilird and IVth ventricles are in midline. No ventricular dilatation, distortion or midline displacement is noted. No obvious focal infarct, Hemorrhage, space occupying lesion noted in infra tentorial region. No displaced/depressed bony fracture noted at bone window settings. Visualized paranasal sinuses, orbits and mastoid appear normal. की अंकना है। आवेदक/अभियुक्त गौरीशंकर सरोज के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–174 सन् 2025, धारा–115(2), 110, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के मामले में बिना गिरफ्तारी के आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध में सात वर्ष तक के दण्ड का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार उचित प्रतीत होता है।

7. तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त गौरीशंकर सरोज की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करते हुए सम्बन्धित न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त को मु0–50,000/– (पचास हजार) रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू लेकर उसे इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेगा कि–

1– आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

2– आवेदक/अभियुक्त गवाहों को न तो डरायेगा, धमकायेगा और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन, धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होगा।

दिनांक–17.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court